न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 79/2023 विविध (प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13)
निर्णय दिनांक:– 19.04.2024
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

रोडू पुत्र भागीरथ जाति बैरवा, निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला दूदू राज.

प्रार्थी

बनाम

1. विजेन्द्र परेवा पुत्र जीवराज परेवा जाति खटीक निवासी प्लॉट नं. 14, गौरव नगर, मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.
2. मदनलाल पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा, निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला दूदू
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा तहसील फागी जिला दूदू
4. तहसीलदार तहसील फागी जिला दूदू राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– 1. श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
1. श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
2. श्री विशाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी0पी0सी
निर्णय दिनांक:– 19.04.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी सं. 116 के आराजी खसरा नं. 549 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, खसरा नं. 550 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं. 552 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नं. 553 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं. 554 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, खसरा नं. 555 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं. 556 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 557 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नं. 558 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नं. 559 रकबा 0.9357 हैक्टेयर, खसरा नं. 560 रकबा 1.3404 हैक्टेयर, खसरा नं. 561 रकबा 0.5311 हैक्टेयर व खसरा नं. 566 रकबा 0.3794 हैक्टेयर कुला किता 13 कुल रकबा 6.4491 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी बाबत अप्रार्थी सं. 1 ने उनवानी वाद विजेन्द्र परेवा बनाम मदनलाल वगै0 मुकदमा नं. 40/2023 दिनांक 16.06.2023 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर कार्यालय रिपोर्ट सरिता की गई एवं प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। उक्त वाद मे प्रार्थीगण जो कि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर के स्थायी निवासी है जो अपने पूर्वजों के समय से अपनी खातेदारी भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज में रहकर काश्त चले आ रहे है को वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी के निवासी

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी फागी

(2)

बताकर प्रार्थीगण के निवास स्थान गांव को बदलते हुये प्रार्थीगण के निवास स्थान श्रीरामगंज के स्थान पर किशोरपुरा दर्ज करते हुये तलबी जारी करवायी जिसकी प्रार्थीगण को कोई ईल्म या जानकारी नहीं हुई। चूंकि प्रार्थीगण के पास आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई तामिल नोटिस नहीं पहुंचा न ही प्रार्थीगण को कोई नोटिस मिला। उसके बावजूद मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2023 को प्रार्थीगण के गलत पते पर तामिल बताते हुये प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित करवाया तत्पश्चात मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार निरस्तनीय है। अभी हाल ही में दिनांक 09.10.2023 अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की आराजीयात पर आकर प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी की मैंने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फागी के यहां से तेरे खिलाफ मुकदमा जीत गया हूँ अब मैं मेरी, मर्जी से तुम्हारे बने मकान व तुम्हारे द्वारा अलग से बनायी गई चाह को मेरी आराजी में मिलाकर तुम्हें तुम्हारे द्वारा अलग से बनायी गई चाह को मेरी आराजी में मिलाकर तुम्हें तुम्हारे कब्जे से बेदखल करके ही दम लूंगा। प्रार्थीगण ने मान्य न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मान्य न्यायालय से उक्त प्रकरण के दस्तावेज प्राप्त किये जो मालूम हुआ कि उक्त उनवानी वाद दिनांक 12.09.2023 को मान्य न्यायालय द्वारा एकतरफा वाद निर्णय व डिक्री किया जा चुका है। प्रार्थीगण का स्थायी पता बदलकर उक्त वाद में गलत पता दर्ज कर एकतरफा आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उक्त निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण को बिना ज्ञान व बिना सुनवाई के की गई है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी निर्णय व डिक्री से अपूर्णनीय क्षति हुई। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार एकतरफा निर्णय व डिक्री खारिज किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 09.10.2023 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात बने पुख्ता मकान व आराजीयात में बनी चाह को अपनी आराजीयात में मिलाकर बेदखल करने व मुकदमा जीत जाने की ऐलानियां धमकी दिये जाने से ज्ञात हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब मे बताया की प्रार्थी रोडू व अप्रार्थी

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

मदनलाल ग्राम किशोरपुरा के ही निवासी है, जिसकी ताईद राजस्व रिकार्ड की वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी से भी बखूबी साबित है, कि प्रार्थी ग्राम किशोरपुरा के ही स्थायी निवासी है। लेकिन प्रार्थी/वादी पर लगा रहा है कि प्रार्थी के गलत पते पर नोटिस भिजवाया गया है। जबकि मान्य न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रार्थीगण के स्थायी पते पर रजिस्ट्रर्ड एडी नोटिस भिजवाया था जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया था, यदि नोटिस प्राप्त नहीं होता तो नोटिस अर्पूण पते के साथ वापिस लौटकर मान्य न्यायालय में प्राप्त होता है, लेकिन मान्य न्यायालय द्वारा भिजवाया गया नोटिस अब तक मान्य न्यायालय में लौटकर वापिस नहीं आया है। क्योकि प्रार्थी/उत्तरदाता वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 से कभी नहीं मिला तथा न ही कभी किसी प्रकार की धमकी दी, प्रार्थी ने उक्त मद में वर्णित सभी तथ्य मनगढंत व बनावटी अंकित किये है ताकि मान्य न्यायालय को गुमराह कर एक सहखातेदार को उसके हिस्से का तकासमा नही करवाया जाकर बाहरी होने से हैरान परेशान कर जमीन को हडप सकें इसलियें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी/उत्तरदाता ने प्रार्थी/अप्रार्थीगण के पते पर किसी प्राकार कोई परिवर्तन नहीं किया है, राजस्व रिकार्ड में वर्णित स्थायी पता ही वाद में वर्णित किया है तथा उसी स्थायी पते पर ही मान्य न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस भिजवाया गया है। क्योंकि मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु रजिस्ट्रर्ड एडी नोटिस उसके स्थायी पते पर भिजवाया गया था, लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी जानबुझकर प्रार्थी/अप्रार्थीगण मान्य न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त वाद पेश किये जाने व डिक्री होने की जानकारी शुरू से रही है, इसके लिये पटवारी हल्का द्वारा कुरेजात बनाने के समय भी प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित उपस्थित हुये थे, तथा प्रार्थी/अप्रार्थीगण की उपस्थित में ही नक्शे कुरेजात तैयार किये गये थे, इसलिये प्रार्थी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम शर्मा ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद मु0न0 40/2023 मे वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पते पर जरिये रजि0एडी तामिल ग्राम किशोरपुरा भिजवाई गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 01.08.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादीगण के खुद के पते पर मान्य न्यायालय द्वारा भिजवाई गई तामिल प्राप्त ही नही हुई। विधिवत (सम्यक रूप) से तामिल नही होने से जो मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2023

19/4/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी

लगातार.....4

को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई है वह गलत है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाकर एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये बताया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी मे सा0देह किशोरपुरा अंकित है इसलिये प्रार्थी की ग्राम किशोरपुरा मे तामिल हुई है। मुताबिक जमाबन्दी से स्पष्ट है कि प्रार्थी का पता सा0देह लिखा हुआ है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मूल वाद का अवलोकन करने पर पाया की अप्रार्थी/वादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। पूर्वीवर्ती वाद विजेन्द्र परेवा बनाम मदनलाल वगै0 मु0न0 40/2023 मे केवल ट्रेक रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.08.2023 एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई थी। उक्त ट्रेक रिपोर्ट मे कही यह उल्लेखित नही है कि उक्त तामिल किस के द्वारा प्राप्त की गई है। पूर्ववर्ती वाद मे प्रार्थी का पता किशोरपुरा तहसील फागी अंकित है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 मे प्रार्थी का निवास स्थान श्रीरामगंज तहसील फागी अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, जमाबन्दी सम्वत 2056 – 2058 मे प्रार्थी का निवास स्थान श्रीरामगंज है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्तमान मे श्रीरामगंज मे निवास कर रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती वाद मे तामिल वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी की जारी की गई थी। न्याय का सिद्वान्त है कि न्याय होना ही नही बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने देने के लिए न्यायालय को उदारता का भाव रखना चाहिए। न्याय के सिद्वान्त की भावना का ध्यान मे रखते हुये न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर पूर्ववर्ती वाद विजेन्द्र परेवा बनाम मदनलाल वगै0 मु0न0 40/2023 मे दिनांक 12.09.2023 को पारित एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/4/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू